

21-5-24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजिर को राजस्थान
 कारतकारी अधिनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार
 है। यूँक अपील चारा 75- क्षेत्र क्षेत्रीय स्तर
 के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय हाजिर को इसका
 क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय उपरोक्त क्षेत्रीय
 गिरा को पुनः भेजा जा रहा है। प्रकरण आगामी
 पेशी दिनांक 2/7/24 को पेश है।


